

उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति अनुभाग-4

संख्या-121/दो-4-2016-26(2)/2016

लखनऊ: दिनांक 03 मई, 2016

Register No. 952

पृष्ठ 10 | 2440

कार्यालय-ज्ञाप

महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अद्वैशासकीय पत्र संख्या-सी-337/सीएफ(बी)/2016, दिनांक 19 अप्रैल, 2016 द्वारा प्राप्त मात्र उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति के आधार पर वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड 2, भाग 2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेन्टल रूल्स 56 के खण्ड (सी) के अधिकारों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ने लोकहित में, आदेश दिया है कि श्री शैलेश्वर नाथ सिंह, विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम), सिद्धार्थनगर, इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपरान्ह से अनिवार्य सेवानिवृत्त हो जायेंगे तथा तीन माह की अवधि के लिए वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हो, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे, जिस पद पर वह अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व पा रहे थे।

किशन सिंह अटोरिया
प्रमुख सचिव

संख्या-121(1)/दो-4-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति श्री शैलेश्वर नाथ सिंह, विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम), सिद्धार्थनगर को प्राप्त कराते हुए दूसरी प्रति पर उनके प्राप्ति हस्ताक्षर सहित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ०प्र० शासन।
4. अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
5. जनपद न्यायाधीश, सिद्धार्थनगर।
6. सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी, द्वारा-महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7. गार्ड बुक हेतु।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)

विशेष सचिव

Dr. Rajendra Singh
Dr. Prabhat
Dr. call for tal
fl. call for tal
papers of refrial
benefits. (R. Amul)
09/08/16

Sarkal
4-6-16
W.O. File

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-4
संख्या-121 / दो-4-2016-26(2) / 2016
लखनऊ: दिनांक 03 मई, 2016

1859

Register No. 278
File No. 121/2450
Date 16/6/16

कार्यालय-ज्ञाप

महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अद्वृशासकीय पत्र संख्या-सी-337 / सीएफ(बी) / 2016, दिनांक 19 अप्रैल, 2016 द्वारा प्राप्त माँ उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति के आधार पर वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड 2, भाग 216/116 2 से 4 तक में दिये गये अद्यावधिक संशोधित फण्डामेन्टल रूल्स 56 के खण्ड (सी) के अधिकारों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ने लोकहित में, आदेश दिया है कि श्री शैलेश्वर नाथ सिंह, विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम), सिद्धार्थनगर, इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपरान्ह से अनिवार्य सेवानिवृत्त हो जायेंगे तथा तीन माह की अवधि के लिए वह उसी दर पर अपने वेतन और भत्ते, यदि कोई हो, की धनराशि के बराबर धन के दावेदार होने के हकदार होंगे, जिस पद पर वह अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व पा रहे थे।

किशन सिंह अटोरिया
प्रमुख सचिव

संख्या-121(1) / दो-4-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की एक प्रति श्री शैलेश्वर नाथ सिंह, विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम), सिद्धार्थनगर को प्राप्त कराते हुए दूसरी प्रति पर उनके प्राप्ति हस्ताक्षर सहित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।
4. अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय, कच्छहरी रोड, इलाहाबाद।
5. जनपद न्यायाधीश, सिद्धार्थनगर।
6. सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी, द्वारा-महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7. गार्ड बुक हेतु।

(1859)
S.S Action (A) (1)

Please place this paper
in nice & leave file, for
information only.

आज्ञा से,

विशेष सचिव

10 - 1
03/06/2016